क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/1992	
	23/8/14	पत्रावली पेश की प्रार्थी व उनके [illegible] अनुपस्थित रही वक्त हालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई [illegible] से कोई भी उपस्थित नहीं रहे [illegible] वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया हाजा [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती हो। [illegible] प्रकरण [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर),

(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

प्रार्थना पत्र संख्या 28/2009

सुखदेव मीणा पुत्र श्री श्रीनारायण मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम गोपालगढ, तहसील जमवागढ, जिला जयपुर जरिये मुखत्यार आम जगराम मीणा पुत्र श्री फूलचन्द मीणा जाति मीणा निवासी ए–154, शिव शक्ति नगर, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, इन्दरा सर्किल के पास, जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 (संशोधित) रा.भू.रा. अधि. 1956

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

1. यह कि प्रार्थी के हक मे दिनांक 22–12–88 को सार्वजनिक निलामी मे साबिक आराजी खसरा नम्बर 140/2 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, 149 रकबा 18 बिस्वा, ख0नं0 119 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता तीन कुल रकबा 10 बीधा 6 बिस्वा वाके ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर मे छुडवाई थी जिसका विक्रय प्रमाण तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र मोहन्ती द्वारा जारी किया गया था। उक्त विक्रय प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 24–6–89 को खोल दिया गया।
2. यह कि उक्त साबिक खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बर 396 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 428 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 429 रकबा 1.51 है0, ख0नं0 431 रकबा 0.25 है0 कुल किता चार कुल रकबा 2.24 है0 बनाये इस प्रकार साबिक रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा यानि 2.53 है0 होने चाहिए थे जो नये खसरा नम्बरान् मे 2.24 है0 बनाये इस प्रकार प्रार्थी की 0.34

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:20:47 IST
Reason: SelfAttested